अनवान प्रदीप कुमार बनाम इत्यादि
प.क्र. 38/2019
बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	गवाह सरजूनी ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये, जो शामिल पत्रावली होवे। पत्रावली कार्यवाही दिनांक 13/9/19 को पेश होवे।
13/9/19	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहनता से अध्ययन किया गया। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 20FF की जमाबन्दी संवत 2070-73 के खाता संख्या 89 में कुशलादेवी पुत्री गणेशाराम 2.066 है. नहरी मय खाला दर्ज रिकार्ड राजस्व अभिलेख है। यह है कि उक्त रकबा खातेदारी है। यह है कि उक्त रकबा रहन / बेच नहीं है। यह है कि उक्त रकबे पर कब्जा काश्त वसीयतनुसार प्रार्थी का है। यह है कि उक्त रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। यह है कि उक्त रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित / अवाप्त नहीं है। यह है कि उक्त रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इस कार्यालय के पत्रांक 1932-33 दिनांक 16/8/19 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति / एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई, जो लोकप्रिय समाचार पत्र में सीमा संदेश दिनांक 23/8/19 के अंक में पृष्ठ संख्या 4 कॉलम संख्या 4 पर प्रकाशित हुआ है। सार्वजनिक

अनवान...

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति / एतराज प्राप्त नहीं हुये है. वसीयत में दर्ज गवाहान श्री करनकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अरोड़ा और भागूराम पुत्र हरजीराम जाति नायक के बयानात अनुसार वसीयतकर्ता कौशल्या देवी पुत्री गणेशा राम जाति अरोड़ा ने वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव / उत्पीड़न के, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण रजामंदी से वसीयत लिखवाना और क्रियान्वित होना बाबत अपने बयान दर्ज करवाये है. गवाहान के बयानातनुसार मौके पर कब्जा काश्त वसीयतनुसार है और वसीयत के सम्बन्ध में मौके पर कोई विवाद नहीं है.	
	पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहनता से अध्ययन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत रकबा पैतृक भूमि न होकर स्व:अर्जित है. प्रश्नगत रकबे पर रहन / बेय नहीं है। सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है. किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आरक्षित / आवंटित नहीं है. समाचार पत्र सीमा संदेश में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने के बाद आदिनांक तक वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति / एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये है. गवाहान के बयानातनुसार वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव / उत्पीड़न के हमारे सामने वसीयत निष्पादित करना और वसीयत का क्रियान्वित हो जाना बाबत अपने बयान दर्ज करवाये है.	

अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	गवाहान के बयानानुसार मौके पर कब्जा काश्त वसीयतानुसार है और मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 130(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(1) LR Act के तहत वसीयतानुसार राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 13.9.19 तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर